



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 011 / 2021-22 / कुला.जा.क्र. / 1413

दिनांक : 30.08.2023

सूचना

विश्वविद्यालय स्नातक कार्यक्रम सत्र 2023-27 के समस्त नव प्रवेशित विद्यार्थी छात्रावास आबंटन हेतु आवेदन दिनांक 31 अगस्त, 2023 सांय 5.00 तक chiefwarden@hindivishwa.ac.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

छात्रावास प्रवेश हेतु अर्ह विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
30/08/23

प्रति (ईमेल द्वारा): समस्त छात्रावास अधीक्षक

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलानुशासक कार्यालय
3. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
4. सुरक्षा अधिकारी
5. प्रभारी, लीला (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. संबंधित पत्रावली



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

छात्रावास प्रवेश / पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. पाठ्यक्रम: सत्र.....
5. नामांकन का स्थान: (1) वर्धा (2) प्रयागराज (3) कोलकाता (4) रिद्धपुर
6. स्थायी पता (फोन नंबर के साथ):
.....
.....
ई-मेल:
7. जन्म तिथि :
8. श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य/अन्य):
(श्रेणी प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
9. आधार संख्या:(छाया प्रति संलग्न करें)
10. अन्तिम परीक्षा का प्रतिशत -----
11. क्या आपका दोनों टीकाकरण हो गया है- हां/नहीं

घोषणा-पत्र

- मैं अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय के छात्रावास संबंधी सभी नियमों/अध्यादेश का अनुपालन करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। मुझे यह भी जानकारी है छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय से पहले अपने कमरे/छात्रावास में लौटना अनिवार्य है। मैं समय सहित विश्वविद्यालय के सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।
- मेरे विरुद्ध भारत गणराज्य के अंतर्गत किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / किसी अन्य संस्था / पुलिस स्टेशन में कोई भी आपराधिक मामला/प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं है। यह भी कि किसी भी आपराधिक मामले में मुझे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई है।
- उपर्युक्त सभी सूचना सर्वथा सत्य है। किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि उपर्युक्त कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है तो विश्वविद्यालय मुझ पर अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय के छात्रावास संबंधी सभी नियमों/आदेशों/अध्यादेश का अनुपालन मेरे पुत्र/मेरी पुत्री/मेरी पत्नी/.....द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मैं सहमति देता/देती हूँ।

अभिभावक का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

1. श्री/सुश्री.....को पाठ्यक्रम में सत्र हेतु प्रवेश दिया गया है। अतः मैं अनुशंसा करता/करती हूँ कि इनको सत्र में विश्वविद्यालय के छात्रावास में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

2. श्री/सुश्री.....सत्र.....में.....पाठ्यक्रम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए। इन्होंने पूर्णांक में से अंक प्राप्त किए।

विभागाध्यक्ष / प्रभारी - परीक्षा विभाग

3. श्री/सुश्री को निर्धारित मानदंडों के आधार पर.....छात्रावास में कक्ष संख्या आवंटित किया गया।

छात्रावास अधीक्षक

मुख्य छात्रावास अधीक्षक

लेखा प्रयोग हेतु

श्री/सुश्री द्वारा सत्र के लिए राशि रु.....नगद/बैंक ड्राफ्ट रसीद संख्या तिथिद्वारा जमा की गई।

लेखा सहायक/लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर